गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 413/2-5 /एम0पी0/जोन–1/2020–21 दिनांक : 27.11.2020

मानचित्र संख्या : MAP20180517122923820

सेवा में,

मानचित्र स्वीकृति पत्र

मै0 आर0बी0 इन्फ्रास्टेट प्रा0 लि0,
अधिकृत प्रतिनिधि श्री आलोक कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार,
पता– 7365, प्रेमनगर, शक्तिनगर,
दिल्ली–110007

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2020 के सन्दर्भ में ग्राम नूरनगर के खसरा सं०–524मि0, 537मि,538मि,540मि व 544मि पर जिला गाजियाबाद पर प्रस्तावित प्रधांनमंत्री आवास योजना के स्थान पर मल्टीप्लेक्स मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. यह मानचित्र स्वीकृति दिनांक 18.08.2020 से केवल पांच वर्ष अर्थात दिनांक 17.08.2025 तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि मुख्य सड़क की ओर न खुले।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के विरूद्ध कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धरित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं इण्डीमेन्टी बॉण्ड दिनांक 25.11.2020 का पालन करना होगा।
13. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 पेड़ लगाना एवं लैण्ड स्केप प्लान के अनुसार ग्रीन एरिया का विकास किया जाना अनिवार्य है।
14. भवन उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. 15 मी0 से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

–क्रमश–

16. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि ग्रह विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थायें, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैक्वेट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना करनी होगी।
17. संरचना सुरक्षा व स्पेसीफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा। संरचना सुरक्षा व भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. आवेदक / भू–स्वामी / निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सेस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगा। लेबर सेस की अवशेष धनराशि स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर रसीद प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
19. अतिरिक्त शर्ते मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा कर दी गयी है। जिनका अनुपालन विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नकः एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

22/01/2020

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांकः /एम0पी0/जोन–1/2020–21 दिनांकः

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन–1 को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण